(वाद संख्या–4556/17)

04.12.2019

परिवादी, रूवि देवी, उपस्थित है।

परिवादी को सुना।

प्रस्तुत मामला परिवादी, रूवि देवी, द्वारा अपनी सास, अरहुला देवी, को डायन बताकर जान से मारने के संबंध में दिये गये आवेदन–पत्र से संबंधित है।

उपरोक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के भैंसुर, नवीन कुमार, के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर कुल–11 नामांकित अभियुक्तों के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं, 147/ 148/ 149/ 341/ 323/ 379/ 307/ 504/ 506 तथा 3/4 डायन अधिनियम के अन्तर्गत चौथम थाना कांड संख्या–94/17, दिनांक–14.05.2017 संस्थित किया गया है तथा अनुसंधानोपरान्त सभी अभियुक्तों के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं, 147/ 148/ 149/ 341/ 323/ 307/ 504/ 506 के अन्तर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है।

परिवादी का कथन है कि पुलिस द्वारा प्रसंगाधीन मामले में डायन अधिनियम के अन्तर्गत जान–बूझकर अभियुक्तों को बचाने के उद्देश्य से आरोप–पत्र समर्पित नहीं किया गया है।

प्रस्तुत मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा द0प्र0स0 के अन्तर्गत विचारण के क्रम में परिवादी न्यायालय में विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

अब, जबकि प्रस्तुत मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी निर्देश/आदेश दिया जाना उचित नहीं रहेगा।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन परिवाद को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक

Bihar Human Rights Commission, Patna